जयपुर शहर प्रथम

24/2/22

मामले की सुनवाई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील प्रार्थी। प्रार्थी का बार-बार मौका देकर और मामले को स्थगित करने के बावजूद वकील प्रार्थी के आचरण संयमपूर्ण नहीं। उपस्थित वकील प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी/विपक्षी अथवा किसी उपस्थित व्यक्ति को मामले से सम्बन्धित कागजात।

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:46:00 IST
Reason: SelfAttested